

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/239
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00232
CICOM/R/2017/00848

दिनांक: 03.08.2017

अपीलकर्ता : श्री लालचन्द,
पुत्र - श्री पूर्णाराम सैनी,
आदर्श नगर, वार्ड नं. 37,
चूरु, राजस्थान - 331001.

निर्णय की तारीख: 03.08.2017

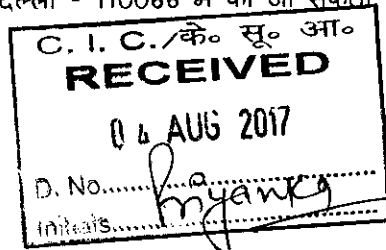
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	07.07.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	13.07.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री विजय भल्ला
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	28.07.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	153234/31.07.2017

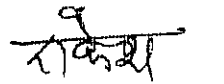
1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 07.07.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग के आदेश सं. CIC/PNBK//A/2017/312170 से संबंधित दो बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री विजय भल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल किया है। प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि उन्हें आवेदन के बिंदु सं. 1 से संबंधित सूचना प्रदान नहीं की गई है।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 07.07.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में श्री विजय भल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पूर्ण एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। श्री विजय भल्ला ने बिंदु सं. 1 तहत प्रदान की गई सूचना में उल्लेख किया है कि "संचिका सं. CIC/PNBK//A/2017/312170 में कोई पत्राचार नहीं हुआ है इसलिए संपूर्ण पत्रावली और आर्डरशीट देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है"। श्री विजय भल्ला द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।




(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

